न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट,)
कक्ष संख्या –4 सुलतानपुर।

उपस्थित –**राजेश नारायण मणि त्रिपाठी,** एच0जे0एस0
(J-O-Code-UP **6233**)

शोभितराम ---- बनाम ---राममिलन
अन्तिम रिपोर्ट संख्या –153/2022
मु0अ0सं0–551/2021
धारा–135भा0वि0अधि0
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, सुलतानपुर।

दिनांकः 12.11..2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। वादी मुकदमा शोभितराम ,अवर अभियन्ता की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित किया गया है। वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है। अतः पुलिसद्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट न्यायहित में स्वीकार कर ली जाय।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपरोक्त द्वारा अभियुक्त राममिलन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। मामले की विवेचना की गयी। बाद विवेचना विवेचक ने उपरोक्त मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित कर दिया। चूंकि वादी मुकदमा स्वयं द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने की याचना की गयी है। अतः न्यायहित में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

{राजेश नारायण मणि त्रिपाठी}
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई0सी0एक्ट) कक्ष संख्या–4
सुलतानपुर।
दिनांकः 12.11.2022